न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 50/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **ओजस्व मसाला कम्पनी,** निवासी चौधरी मार्केट, रीको इण्डेस्ट्रीयल ऐरिया, बगरू, जयपुर, जरिये प्रो. सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा 303007
2. **किरण देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,** जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 01, मौहल्ला ब्रह्मपुरीया, खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर 332709
3. **मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद,** जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 01, मौहल्ला ब्रह्मपुरीया, खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर 332709
4. **सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा** जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 01, मौहल्ला ब्रह्मपुरीया, खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर 332709
5. **राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र मातादीन,** जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 01, मौहल्ला ब्रह्मपुरीया, खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर 332709

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 14.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **ओजस्व मसाला कम्पनी जरिये प्रो. सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, किरण देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा** एवं **राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र**

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मातादीन की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण **मंजू देवी** एवं **किरण देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 81, वार्ड नं. 20, नगरपालिका मण्डल खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 321 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सागर चौधरी का मकान, पश्चिम दिशा में सीतारामजी का मन्दिर, उत्तर दिशा में बंशीधर का मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 15,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पंद्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.02.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.02.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन प्रार्थी की फोटो प्रति वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **ओजस्व मसाला कम्पनी जरिये प्रो. सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा,**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

किरण देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सावरमल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा एवं **राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र मातादीन** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण **मंजू देवी** एवं **किरण देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 81, वार्ड नं. 20, नगरपालिका मण्डल खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 321 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सागर चौधरी का मकान, पश्चिम दिशा में सीतारामजी का मन्दिर, उत्तर दिशा में बंशीधर का मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर